-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 09.12.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना अतर्रा पुलिस द्वारा रंगदारी मांगने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार । अभियुक्त के कब्जे से रंगदारी के 5500 रुपये बरामद ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 09.12.2025 को थाना अतर्रा पुलिस द्वारा रंगदारी मांगने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है । गौरतलब हो कि दिनांक 08.12.2025 को थाना नरैनी क्षेत्र के देवीनगर के रहने वाले नौशाद द्वारा थाना अतर्रा पर सूचना दी गई कि उसके ड्राइवर को यासीन, रजा व दो अज्ञात लोगो द्वारा गाड़ी को रोककर जान से मारने की धमकी व 01 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई। जिस पर ड्राइवर द्वारा डर के मारे 45 हजार रुपये देने के सम्बन्ध में प्रार्थना दिया गया। जिस पर थाना अतर्रा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों के गिफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे । इसी क्रम में आज दिनांक 09.12.2025 को मुखबिर द्वारा सूचना पर अभियुक्त यासीन को जरुहा तिराहे के पास गिरफ्तार किया गया । पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि हम लोगों ने 01 लाख कि रंगदारी मांगने पर 45 हजार रुपये मिले थे जो कि हम लोगों द्वारा आपस में बांट लिये गये थे। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से रंगदारी के 5500 रुपये बरामद हुए। अन्य अभियुक्तों के गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

बरामदगी-

- 5500 रुपये (रंगदारी के)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. यासीन पुत्र हफीज निवासी करतल रोड़ थाना नरैनी जनपद बांदा।

वांछित अभियुक्त-

1. रजा पुत्र जलील निवासी टिकुरी पुरवा थाना बदौसा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 441/25 धारा 126(2)/308(5)/140(1)/351(3) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना अतर्रा जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री ऋषि देव सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना अतर्रा
2. उ0नि0 श्री मणिशंकर मिश्र
3. कां0 जंगबहादुर
4. कां0 सुनील कुमार